प्रेस नोट- दिनांक 06.06.2021

दिनांक 04.06.2021 को गैंगस्टर अधि0 के अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव जनपद औरैया के जिला कारागार इटावा से जमानत पर छूटने के बाद हाइवे पर भारी सख्या में वाहनों के साथ निकाले गये जुलूस के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में इटावा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।

घटना का विवरण-

दिनांक 04.06.2021 को गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र सतीश चन्द्र यादव निवासी ग्राम उमरसाना थाना दिबियापुर जनपद औरैया के इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद अपने समर्थकों के साथ दिनांक 05.06.2021 को भारी संख्या में वाहनो को लेकर हाइवे से औरैया की तरफ जुलूस के रूप में जाते हुए सांयकाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था।

कृत कार्यवाही का विवरण-

वायरल वीडियो का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 05.06.2021 को ही थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 180/21 धारा 188,269,270 भादवि, 51/57 आपदा प्रबंधन अधि0, 3 महामारी अधि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम धर्मेन्द्र यादव व अन्य 200 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के निर्देशन में अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी करने हेतु 08 टीमों का गठन किया गया था।

घटना के संबंध में कार्यवाही हेतु गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के आधार पर गाडियों एवं व्यक्तियों की पहचान करते हुए जनपद आगरा, जालौन, औरैया एंव इटावा के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर **धर्मेन्द्र यादव द्वारा प्रयुक्त वाहन ऑडी कार यूपी 75 एसी 9090 व अन्य 23 गाडियों को कब्जे में लेते हुए अब तक कुल 34 व्यक्तियों को हिरासत** में लिया गया है। गठित टीमों द्वारा पहचान की गई गाडियों/ व्यक्तियों की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एवं राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रभारी चौकी जेल थाना सिविल लाइन का दोष परिलक्षित होने पर निलंबित करते हुए जनपद इटावा/ औरैया के अन्य पुलिस कर्मियों की लापरवाही के संबंध में पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा से कराई जा रही है दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।